


23¹¹/₂₂

पञ्जाबी वेग। वादी अधिकांश उपस्थित।
 वादी अधिकांश व पेंरोमर सरकार की
 लक्ष्य चुनी गई। बाद पत्र में संलग्न
 दस्तावेजों का आलोचनात्मक अध्ययन
 अवलोकन किया गया। उपर्युक्त विषय
 के आधार पर रेकॉर्ड सुरक्षित किया
 जाना न्यायसंगत मनी प्रतीत होता है।
 भतः यह वाद अन्तर्गत धारा 88 राज.
 कारागारी अधिनियम, 1955 एवं जर्मनी
 पत्र अन्तर्गत धारा 136 राजन्याय क्र.
 राजस्व अधिनियम 1956 पोषणीय होने
 के स्वीकार किया जाता है। फैसला कियत
 पृथक से लिखा जात तदानीपदा रवदा
 को तद्विधि जारी हो।

Perul

1108
 25/11/22

पञ्जाबी फैसल रुमाट होकर
 दर्ज नमूदा से कद की पात्रत गाविल
 प्राप्त हो।


 सहायक कलेक्टर
 (S. D. O.) रवदा